उ०प्र० आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय

सैफई, इटावा-206130

U.P. University of Medical Sciences

Saifai, Etawah-206130

website: www.upums.ac.in

पत्र संख्या 02 /U.P.U.M.S/F&A/NPS Cell/2024-25 दिनांक 10 अप्रैल, 2024

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या 1872/71-2-2-12-सा-2/2006 दिनांक 28 जून, 2012 के द्वारा संस्थान के नियमित अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए नवपरिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है एवं नई पेंशन योजना के अन्तर्गत वेतन से कटौती, कार्मिक द्वारा, जिस माह में कार्यभार ग्रहण किया जाये, उसके अगले माह के देय वेतन से प्रारम्भ होगी। अधिकारियों / कर्मचारियों, के वेतन से कटौती के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा भी नियोक्ता अंशदान के रूप में धनराशि जमा की जायेगी।

अतः विश्वविद्यालय में कार्यरत ऐसे नियमित अधिकारी/ कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक नई पेंशन योजना में पंजीकरण हेतु CSRF-G फार्म **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से, वेतन से पेंशन अंशदान की कटौती किये जाने हेतु आवेदन नहीं किया गया है, को निर्देशित किया जाता है कि उक्त सभी अधिकारी / कर्मचारी तत्काल CSRF-G फार्म को पूर्ण रूप से भरकर सम्बन्धित अधिष्ठान में जमा करना सुनिश्चित करें जिससे कि PRAN (Permanent Retirement Account Number) आवंटित करने के संदर्भ में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(जगरोपन राम)
वित्त अधिकारी

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त विभागाध्यक्ष।
2. समस्त नोटिस बोर्ड (ऐसे नवनियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके द्वारा अभी तक CSRF-G फार्म प्रेषित नहीं किया गया है, को संलग्न फार्म (02 सेट में) (Filled in Black ink) भरा जाना है जिसके साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की स्व:प्रमाणित प्रतिलिपि भी संलग्न की जानी है:
   - (i) Photo Copy of Bank Pass Book
   - (ii) Photo Copy of Aadhar Card. (Self & Nominee both)
   - (iii) Photo Copy of PAN Card.
3. कुलसचिव / चिकित्सा अधीक्षक / संकायाध्यक्ष (मेडिकल) को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधिष्ठान से सम्बन्धित ऐसे नवनियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों जिनके द्वारा अभी तक CSRF-G फार्म प्रेषित नहीं किया गया है, को संलग्न फार्म उपलब्ध कराते हुए, पूर्ण रूप से भरे हुए फार्म प्राप्त करने के उपरांत, फार्म में अंकित विवरण का सम्बन्धित कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली से मिलान करते हुए सत्यापित फार्म उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. प्रभारी सी०ए०सी० को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

10/4/24

15/4/24

10/4/24

10/4/24

(जगरोपन राम)
वित्त अधिकारी